भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1901
दिनांक 15-03-2005 को उत्तर के लिए

राजभाषा सेवा संवर्ग के लिए नया वेतनमान

1901. श्री मधु गौड यास्खीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंध रखने वाले सहायक निदेशकों/हिंदी अधिकारियों तथा वरिष्ठ/कनिष्ठ अनुवादकों के वेतनमान 6500/-रु0 से बढ़ाकर 7500/-रु0, 5500/-रु0 से बढ़ाकर 6500/-रु0 तथा 5000/- रु0 से 5500/-रु0 कर दिए गए है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजभाषा सेवा संवर्ग के बाहर मंत्रालयों/विभागों में ये वेतनमान लागू नहीं किए जा रहे हैं जबकि इन मंत्रालयों/विभागों के कार्मिकों पर वही सेवा शर्ते, वहीं योगयताएं तथा वहीं कर्तव्य हैं तथा इससे पहले उनके वेतनमान समान थे;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव गावीत)

(क): केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सहायक निदेशकों, वरिष्ठ अनुवादकों और कनिष्ठ अनुवादकों के वेतनमान 1.1.1996 से नोशनल आधार पर और 11.2.2003 से वास्तविक आधार पर निम्नानुसार बढ़ाए गए हैं -

कनिष्ठ अनुवादक-	5500-175-9000 रुपए
वरिष्ठ अनुवादक-	6500-200-10,500 रुपए
सहायक निदेशक-	7500-250-12000 रुपए

(ख): ये वेतनमान, अधीनस्थ कार्यालयों सहित उन कार्यालयों के हिंदी स्टाफ के लिए अनुमोदित नहीं किए गए हैं जो केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सम्मिलित नहीं हैं ।

(ग): केन्द्रीय सचिवालय और अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों के काम का स्वरूप और जिम्मेंदारियां अलग-अलग होने के कारण उनके वेतनमान भी अलग-अलग हैं ।

(घ): अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी स्टाफ का वेतनमान बढ़ाने संबंधी मामले पर विचार किया गया है । तथापि मंत्रालयों/विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों के काम को उचित महत्व देते हुए वेतनमान में समानता लाना व्यवहार्य नहीं पाया गया है ।